



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 92 राँची, शनिवार, 16 फाल्गुन, 1947 (श०)
7 मार्च, 2026 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

शुद्धि-पत्र
16 फरवरी, 2026

सं०-07/71/ हो०गा० (स्था०)-13/24(खण्ड)-1034--गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-453, दिनांक-29.01.2026 के कंडिका सं०- 11, कॉलम सं०- 02 में अंकित नाम 'नीलीमा सुरीन' को 'नीलिमा सुरीन' एवं कंडिका सं०- 12, कॉलम सं०- 02 में अंकित नाम 'चारू उराँव' के स्थान पर 'चारो उराँव' पढ़ा जाय। उक्त अधिसूचना के शेष कंडिका एवं तथ्य यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।